भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3897

उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

उज्जैन में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की समय-सीमा

3897. **श्री अनिल फिरोजिया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उज्जैन में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने की अनुमानित तिथि क्या है;

(ख) उक्त केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) निर्माण कार्य शुरू होने की अनुमानित तिथि क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अस्थायी परिसर में कक्षाएं शुरू किए जाने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो कक्षाएं शुरू होने की अनुमानित तिथि क्या है;

(च) क्या भूमि हस्तांतरण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की स्वीकृति, बजट आवंटन या निविदा प्रक्रिया में कोई बाधा है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या सरकार का उक्त विद्यालय के शीघ्र संचालन के लिए कोई समय-सीमा नियत करने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो निर्माण कार्य और कक्षाएं शुरू होने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (झ): केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में उज्जैन में 01 केवि सहित मध्य प्रदेश राज्य में 119 केन्द्रीय विद्यालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, दिसंबर, 2024 में भारत सरकार द्वारा एक नए केवि नागदा, उज्जैन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन केविसं मानदंडों के अनुसार प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा केविसं के पक्ष में उपयुक्त नि:शुल्क भूमि और किराया मुक्त अस्थायी आवास का हस्तांतरण नहीं करने के कारण इसे कार्यात्मक नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत् प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में अंतरण/पट्टा औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/प्राक्कलन प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है।

केविसं से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई 5.10 एकड़ भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और केविसं के पक्ष में उक्त भूमि का हस्तांतरण प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पूरा नहीं किया गया है।
